

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर / भोजपुर / पटना / वैशाली / सारण / समस्तीपुर
बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / मुंगेर / भागलपुर एवं कटिहार

पटना-15, दि0-27.08.2016

विषय : बाढ़ राहत शिविरों में मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सुविधा देने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक 3201 दिनांक 26.08.16 एवं ज्ञापांक 3217 दिनांक 27.08.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा बाढ़ राहत शिविरों में आवासित प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को मुख्य मंत्री राहत कोष से वस्त्र एवं स्टील का बर्तन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इसी क्रम में सूचित करना है कि राहत शिविरों में आवासित प्रत्येक बाढ़ प्रभावित व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले वस्त्र एवं स्टील का बर्तन (दोनो मिलाकर) 600/- (छः सौ) रू० के सीमा के अन्तर्गत ही अनुमान्य होगा।

विश्वासभाजन
27/8/16
(अनिरुद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3226 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 27.08.2016

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3226 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 27.08.2016

प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3226 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 27.08.2016

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3226 / आ0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 27.08.2016

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/16
संयुक्त सचिव